(वाद सं0.-1037/4/2/2023)

10-08-2023

प्रसंगाधीन मामला, औरंगाबाद, जिलान्तर्गत ग्राम पंचायत, डिहरी (ओबरा प्रखण्ड), के प्रधानमंत्री आवास सहायक (ग्रामीण) व रोजगार सेवक द्वारा परिवादी, मंजु देवी, के मजदुरी की राशि का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी के बकाया मजदुरी का पूर्ण भुगतान उसके बैंक खाते में कर दिया गया है। उपरोक्त के समर्थन में **जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद** द्वारा सुसंगत कागजातो को अनुलग्नित भी किया गया है।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का सक्षम प्राधिकार द्वारा निस्तारण किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर से **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, **जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति अनुलग्नको सहित (पृष्ठ–29–22/प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

उप सचिव